राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन/तत्काल/फैक्स

संख्या 788/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 28/07/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड़,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग-2 : देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 2003

विषयः-त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु आवश्यक निर्देश।

महोदय,

कृपया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-रा0नि0आ0अनु0-2/780/2007 दिनांक 28 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संबोधित तथा प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है।

2. उक्त संबंध में आयोग की ओर से मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि पंचायत-2008 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु कृपया निम्नांकित व्यवस्थाएं आवश्यक सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. पंचायत निर्वाचन के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में लाइसेंसधारियों के आग्नेयास्त्र जमा कराये जायं और शस्त्र लेकर चलने में रोक लगाई जाय।
2. निर्वाचन कार्य में गड़बड़ी फैलाने वाले असमाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि बूथ कैप्चरिंग और बलपूर्वक मतदान की घटनाएं न हो पायें।
4. मतदान की तिथियों एवं मतगणना के दिनों में शराब, भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जाय।
5. मतगणना केन्द्रों पर भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ह0.
(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।

संख्या-788(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/786/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।

क्रमशः.....2

3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
5. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
6. गार्ड फाईल।

ह0.

(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।